

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-पदमपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. भागुराम पुत्र मधा उर्फ मधाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 मधा उर्फ मधाराम पुत्र खुमाणाराम उर्फ खुमाणा जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

2 गोरधन 3 कृष्ण पुत्र मधा उर्फ मधाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर

4 इन्द्रा 5 रामी 6 चन्द्रपती 7 चिडिया पुत्रिया मधा उर्फ मधाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर ।

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 20 सन 2018 निर्णय दिनांक-08.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 भागुराम रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 111/96 के प0न0 366/395(17) किला न0 8मिन पश्चिम की 0.0690हैक् , 9मिन पूर्व की 0.095हैक् 12 मिन पूर्व की 0.095हैक् 13मिन पश्चिम की 0.0690हैक् 18 मिन पश्चिम की 0.0690हैक् 19मिन पूर्व की 0.0950हैक् 22मिन पूर्व की 0.0950हैक् ,23मिन पश्चिम की 0.0690हैक् तथा प0न0 366/396(80) के किला न0 2 मिन पूर्व की 0.139हैक् 3 मिन पश्चिम की 0.063हैक् कुल 0.858हैक् व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56/56 के प0न0 356/383(39) के किला न0 16 ,17/0.506हैक् , 8 मिन पूर्व की 0.127हैक् प0न0 357/383(40) किला न0 20/.2530हैक् कुल 0.886हैक् भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 2 गोरधन रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 111/96 के प0न0 366/395(77) के किला न0 9मिन पश्चिम की 0.158हैक् 12 मिन पश्चिम की 0.158हैक् ,19 मिन पश्चिम की 0.158हैक् , 21 मिन पश्चिम की 0.0690हैक् , 22 मिन पश्चिम की 0.158हैक् , प0न0 366/396(80) किला न0 1/2 की 0.0690हैक् 2 मिन पश्चिम की 0.0890हैक् कुल 0.859हैक् एवं रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता संख्या 95/92 के प0न0 368/398(12) किला न0 13 ,14/0.506हैक् , 15/0.253हैक् कुल 0.734हैक् रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 97/89 के प0न0 372/398(41) किला न0 10 मिन पश्चिम की 0.130हैक् 11 मिन पश्चिम की 0.130हैक् , 18 /0.253 ,19/0.253 ,20 मिन पश्चिम की 0.130हैक् 21 मिन पश्चिम की 0.214हैक् , 22 ,23 ,24/0.759हैक् कुल 1.518हैक् भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 3 कृष्ण के पास रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 111/96 के प0न0 366/395 (77) के किला न0 8 मिन पूर्व की 0.184हैक् , 13 मिन पूर्व की 0.184 , 18 मिन पूर्व की 0.184, 23 मिन पूर्व की 0.184हैक् प0न0 366/396(80) किला न0 3 मिन पूर्व की 0.127हैक् , कुल 0.863हैक् भूमि व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 95/92 के प0न0 0 मु0न0 73 का किला न0 19 की 0.076हैक् गै0मु0रास्ता , प0न0 368/398 (12) किला न0 16/0.2280हैक् 17 ,18 ,23 ,24 प्रत्येक 0.253हैक् , किला न0 25/0.2270हैक् कुल 1.543हैक् भूमि तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 97/89 के प0न0 372/398(41) किला न0 10 मिन पूर्व की 0.240हैक् , 11 मिन पूर्व की 0.240हैक् 20 मिन पूर्व की 0.240हैक् 21 मिन उत्तर की 0.039हैक् कुल 0.772हैक् रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56/56 के प0न0 356/383(39) किला न0 8 मिन पश्चिम की 0.126हैक् , 9/0.253 , 10/253 ,कुल 0.632हैक् भूमि रहेगी।

Signature

रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 97/89 के प0न0 372/398(41) किला न0 1/2 की 0.0130हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की बहिब खातेदार काश्तकार है। रोही मोजा दुर्जाना के खाता संख्या 100/99 की कुल 15.9720हैक् तथा रोही मोजा दुर्जाना के खाता संख्या 162/154 की कुल 12.5330हैक् सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखरे पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-पदमपुरा

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- पदमपुरा
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0
प्रार्थना-पत्र सं0 : 20 सन 2018

अनवान :-

1. भागुराम पुत्र मधा उर्फ मधाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. मधा उर्फ मधाराम पुत्र खुमाणाराम उर्फ खुमाणा जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. गोरधन 3 कृष्ण पुत्र मधा उर्फ मधाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
- 4 इन्द्रा 5 रामी 6 चन्द्रपती 7 चिडिया पुत्रिया मधा उर्फ मधाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर ।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 08.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 111/96 की 2.5800हैव , चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 95/92 की कुल 2.2770हैव रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 97/89 की कुल 2.2900हैव चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56/56 कीकुल 1.5180हैव , रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 100/99 की कुल 15.9720हैव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से एवं रोही मौजा दुर्जाना क खाता संख्या 162/154 की कुल 12.5330हैव में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त खाता मे दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा खमाणा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका उन्होंने आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है जिसके अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया परन्तु रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हको का त्याग कर दिया है जिसे प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर स्वीकार कर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हकों की होना जाहिर कर उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करने हेतु निवेदन किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिग्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 भागुराम रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 111/96 के प0न0 366/395(17) किला न0 8मिन पश्चिम की 0.0690हैक् , 9मिन पूर्व की 0.095हैक् 12 मिन पूर्व की 0.095हैक् 13मिन पश्चिम की 0.0690हैक् 18 मिन पश्चिम की 0.0690हैक् 19मिन पूर्व की 0.0950हैक् 22मिन पूर्व की 0.0950हैक् ,23मिन पश्चिम की 0.0690हैक् तथा प0न0 366/396(80) के किला न0 2 मिन पूर्व की 0.139हैक् 3 मिन पश्चिम की 0.063हैक् कुल 0.858हैक् व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56/56 के प0न0 356/383(39) के किला न0 16 ,17/0.506हैक् , 8 मिन पूर्व की 0.127हैक् प0न0 357/383(40) किला न0 20/ .2530हैक् कुल 0.886हैक् भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 2 गोरधन रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 111/96 के प0न0 366/395(77) के किला न0 9मिन पश्चिम की 0.158हैक् 12 मिन पश्चिम की 0.158हैक् ,19 मिन पश्चिम की 0.158हैक् , 21 मिन पश्चिम की 0.0690हैक् , 22 मिन पश्चिम की 0.158हैक् , प0न0 366/396(80) किला न0 1/2 की 0.0690हैक् 2 मिन पश्चिम की 0.0890हैक् कुल 0.859हैक् एवं रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता संख्या 95/92 के प0न0 368/398(12) किला न0 13 ,14/0.506हैक् , 15/0.253हैक् कुल 0.734हैक् रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 97/89 के प0न0 372/398(41) किला न0 10 मिन पश्चिम की 0.130हैक् 11 मिन पश्चिम की 0.130हैक् 18 /0.253 ,19/0.253 ,20 मिन पश्चिम की 0.130हैक् 21 मिन पश्चिम की 0.214हैक् , 22 ,23 ,24/0.759हैक् कुल 1.518हैक् भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 3 कृष्ण के पास रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 111/96 के प0न0 366/395 (77) के किला न0 8 मिन पूर्व की 0.184हैक् , 13 मिन पूर्व की 0.184 , 18 मिन पूर्व की 0.184, 23 मिन पूर्व की 0.184हैक् प0न0 366/396(80) किला न0 3 मिन पूर्व की 0.127हैक् , कुल 0.863हैक् भूमि व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 95/92 के प0न0 0 मु0न0 73 का किला न0 19 की 0.076हैक् गै0मु0रारस्ता , प0न0 368/398 (12) किला न0 16/0.2280हैक् 17 ,18 ,23 ,24 प्रत्येक 0.253हैक् , किला न0 25/0.2270हैक् कुल 1.543हैक् भूमि तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 97/89 के प0न0 372/398(41) किला न0 10 मिन पूर्व की 0.240हैक् , 11 मिन पूर्व की 0.240हैक् 20 मिन पूर्व की 0.240हैक् 21 मिन उत्तर की 0.039हैक् कुल 0.772हैक् रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56/56 के प0न0 356/383(39) किला न0 8 मिन पश्चिम की 0.126हैक् , 9/0.253 , 10/253 ,कुल 0.632हैक् भूमि रहेगी।

रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 97/89 के प0न0 372/398(41) किला न0 1/2 की 0.0130हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की बहिब खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 100/99 की कुल 15.9720हैक् तथा रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 162/154 की कुल 12.5330हैक् सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखरे पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Saidi
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-पदमपुरा